2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक– 961 /बजट–आयोजनेत्तर–2010–11 दिनांक 21 मई, 2010.

संलग्नक में उल्लिखित जनपदों के आहरण–संवितरण अधिकारी,
एवं जनपदीय अधिकारी, उद्यान विभाग, उ0प्र0।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 के अर्न्तगत आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं में आवंटन विषयक।**

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2406–वानिकी तथा वन्य जीव–आयोजनेत्तर–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव–112–सार्वजनिक उद्यान–03–उद्यान के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0–16456 हजार (रू0–एक करोड़ चौसठ लाख छप्पन हजार) मात्र का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार प्रदत्त किया जा रहा है।

शर्तें :–

1– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4–बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी–1–1195/दस– 16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित0–1/2007 दिनांक 26–10–2009 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–संवितरण अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

6– निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये।

7– व्यय को आवंटन की सीमा तक नियन्त्रित भी रखें ।

8– उक्त आवंटित किया जा रहा बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका के पृष्ठ संख्या–80 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।

पृष्ठांकन संख्या– 961 /उक्त दिनांक,

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3– संयुक्त निदेशक उद्यान/सम्बन्धित योजना अधिकारी।
4– सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
5– आवंटन पत्रावली/गार्ड फाईल।

(रंजन मिश्र) 21/05/10
वित्त नियन्त्रक।

folder NP07-08

निदेशालय के पत्रांक– 961 /बजट(आयोजनेत्तर)/आवंटन/2010–11 दिनांक 21-5-2010 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक–2406–वानिकी तथा वन्य जीव–आयोजनेत्तर–02–पर्यावर्णिक वानिकी तथा वन्य जीव–112–सार्वजनिक उद्यान–03–उद्यान की योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन प्रदत्त किया जाता है :–

(धनराशि हजार रूपये में)

		कोड संख्या/मद का नाम												योग
क्र0 सं0	कार्यालय का नाम (जिसे आवंटन प्रदत्त किया जा रहा है)	02 मजदूरी	04 यात्रा भत्ता	08 कार्यालय व्यय	09 विद्युत देय	11 लेखन सामग्री	13 टेलीफान पर व्यय	17 किराया उप शु0	29 अनुरक्षण	31 सामग्री/ सम्पूर्ती	42 अन्य व्यय	47- कम्प्यूटर स्टेशनरी	49 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	
1	2	3	4	6	7	9	11	12	15	16	17	19	20	22
1	सं0नि0सहारनपुर	350	25	11	120		6		30	110	16		30	698
2	जि0उ0अ0मेरठ	250	3	2	40	3			10	100	9			417
3	आ0शा0वि0अ0मेरठ		2	1										3
4	जि0उ0अ0 गाजियाबाद	190	4	2	20				7	65	10			298
5	उ0नि0उ0 आगरा		15	10		2	12							39
6	जि0उ0अ0 आगरा		2	2										4
7	अ0रा0उ0आगरा	2200	22	25	300	8	12		40	425	36			3068
8	जि0उ0अ0मैनपुरी		2	2										4
9	जि0उ0अ0 फिरोजाबाद		2	1										3
10	जि0उ0अ0अलीगढ़	160	9	3	15				5	110	3	5		310
11	जि0उ0अ0 हाथरस		3	2										5
12	जि0उ0अ0 बरेली	100	2	2	15					25	3			147
13	जि0उ0अ0 पीलीभीत		2	2										4
14	जि0उ0अ0 मुरादाबाद		5	2										7
15	अ0 रा0उ0रामपुर	150	22	25	15	8	7		15	70	10			322
16	जि0उ0अ0कानपुर नगर	140	4	3	10				5	25	6			193
17	जि0उ0अ0कानपुर देहात		2	1										3
18	जि0उ0अ0 इटावा	140	4	2	10					30	5			191
19	अ0रा0उ0 इलाहाबाद	350	16	25	175	8	15	30	25	200	35			879
20	मु0 उ0 वि0 इलाहाबाद	150	16	7	45				15	70	12			315
21	जि0उ0अ0प्रतापगढ़		4	2										6
22	अ0 रा0 उ0 झाँसी	750	13	15	40	6	7	2.6	25	220	25			1104
23	जि0उ0अ0ललितपुर	125	4	2	7				5	50	5			198
24	जि0उ0अ0 बाँदा		4	2										6
25	जि0उ0अ0 हमीरपुर	150	5	2	10				5	50	7			229
26	उ0नि0उ0 वाराणसी	30								15	4			49

20.5.10

21/05/10

निदेशालय के पत्रांक– 961 /बजट(आयोजनेत्तर)/आवंटन/2010–11 दिनांक 21-5-2010 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक–2406–वानिकी तथा वन्य जीव–आयोजनेत्तर–02–पर्यावर्णिक वानिकी तथा वन्य जीव–112–सार्वजनिक उद्यान–03–उद्यान की योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन प्रदत्त किया जाता है :–

(धनराशि हजार रूपये में)

		कोड संख्या/मद का नाम												
क्र0 सं0	कार्यालय का नाम (जिसे आवंटन प्रदत्त किया जा रहा है)	02 मजदूरी	04 यात्रा भत्ता	08 कार्यालय व्यय	09 विद्युत देय	11 लेखन सामग्री	13 टेलीफान पर व्यय	17 किराया उप शु0	29 अनुरक्षण	31 सामग्री/ सम्पूर्ती	42 अन्य व्यय	47- कम्प्यूटर स्टेशनरी	49 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	योग
1	2	3	4	6	7	9	11	12	15	16	17	19	20	22
27	जि0उ0अ0वाराणसी	160	6	2					8	70	10			256
28	अ0 रा0 उ0 गोरखपुर	375	17	16	100	6	7		10	150	30			711
29	जि0उ0अ0महराजगंज		2	2										4
30	जि0उ0अ0कुशीनगर		4	2										6
31	संयुक्त निदेशक बस्ती	50	2							20	3			75
32	जि0उ0अ0बलिया		3	1										4
33	जि0उ0अ0मऊ		2	1										3
34	उ0नि0उ0 लखनऊ		6	4										10
35	जि0उ0अ0लखनऊ		3	2										5
36	जि0उ0अ0हरदोई		4	2										6
37	जि0उ0अ0रायबरेली		2	1										3
38	अ0रा0उ0फैजाबाद	800	18	16	80	6	6		17	175	12			1130
39	जि0उ0अ0बहराइच	280			40				10	70	10			410
40	जि0उ0अ0सुल्तानपुर		2	2	5									9
41	जि0उ0अ0गोण्डा		2	2										4
42	अ0रा0उ0लखनऊ	4000	16	22	175	10	12		40	900	125	5	13	5318
	योग–	10900	281	228	1222	57	84	32.6	272	2950	376	10	43	16456

(कुल आवंटित की जा रही धनराशि रू0 एक करोड़ चौसठ लाख छप्पन हजार मात्र)

20/5/10

20.5.10

(रंजन मिश्रा) 21/05/10
वित्त नियंत्रक